


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।

विज्ञापित

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं०-7268/एडमिन जी-1/2020 इलाहाबाद दिनांकित 02.09.2020 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित जून 18, 2015 के अधीन परिवार न्यायालय, जौनपुर में परामर्शदाता की आबद्धता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन दो पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिनकी शर्त निम्नवत् है:-

- 1- विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 2- आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष 5 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
- 3- राज्य सरकार के अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- 4- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
- 5- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- 6- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
- 7- यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो, जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो, यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
- 8- शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक है और पारिवारिक काउन्सलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक 01.10.2020 तक प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय, जौनपुर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

11c  18.9.20
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

18/9/20